Sem-II
U.G
18 April 19"

35

जातिवाद

(Casteism)

इस अध्याय में हम जानेंगे :

- जाति का अर्थ एवं परिभाषाएं
- जातिवाद के विकास के कारक
- जातिवाद के दुष्परिणाम
- जातिवाद के निराकरण के उपाय
- भारत में जाति एवं राजनीति

जातिवाद जाति व्यवस्था से सम्बन्धित एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। जातिवाद की भावना व्यक्ति-व्यक्ति के बीच घृणा, द्वेष एवं प्रतिस्पर्द्धा को जन्म देती है। जातिवाद की भावना के विकसित होने से व्यक्ति अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है। देश या समाज का हित उसके लिए नगण्य हो जाता है।

जातिवाद का अर्थ एवं परिभाषाएं

(Meaning and Definitions of Castism)

जातिवाद एक जाति के सदस्यों की वह भावना है जो अपनी जाति के हित के सम्मुख अन्य जातियों के सामान्य हितों की अवहेलना और प्रायः हनन करने को प्रेरित करती है। मानव भावनाओं का यह संकुचित रूप ही जातिवाद है।

जातिवाद की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं–

- **डॉ. कैलाशनाथ**–*"जातिवाद या जातिभक्ति एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक प्रस्थिति* (Status) *को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित करती हो।"*
- **के. एम. पन्निकर**–*"राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है।"*

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि जातिवाद से प्रभावित व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी ही जाति में केन्द्रित कर देता है और उन्हीं के कल्याण के लिए चिन्ता करता है। इस दृष्टिकोण से जातिवाद को समाज-विरोधी (anti-social) भी कहा जा सकता है। संक्षेप में, जातिवाद से प्रेरित व्यक्ति अपनी ही जाति के कल्याण के लिए केवल सोचते-विचारते ही नहीं, बल्कि उसी के अनुसार कार्य भी करते हैं अर्थात् अपने विचारों व भावनाओं को एक व्यावहारिक रूप भी देते हैं।

जातिवाद के विकास के कारक
(Factors of the Growth of Castism)

जातिवाद के विकास में निम्नलिखित कारकों का योगदान रहता है—

(1) विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध (Marriage Restrictions)—जाति-प्रथा के अन्तर्गत अपनी ही जाति में विवाह करने का निर्देश है और इसका पालन भी हजारों वर्षों से होता आ रहा है। अन्तर्विवाह (Endogamy) सम्बन्धी यह जातीय नियम व्यावहारिक रूप में केवल अपनी ही उपजाति में विवाह की अनुमति देता है ओर एक उपजाति की सदस्य-संख्या भी सीमित ही होती है। इस प्रकार के नाते-रिश्ते का एक दूसरे के हितों का अधिक ध्यान रखते हैं और उसी के अनुसार काम भी करते हैं। इसी से जातिवाद का विकास होता है।

(2) प्रचार व यातायात के साधनों में वृद्धि (Development of the means of Transport and Propaganda)—यातायात और प्रचार के साधनों के अभाव में प्राचीन काल में जातिवाद पनप नहीं पाता था। पर आज वह कमी दूर हो गई है और बिखरे हुए एक जाति के सदस्यों में नाता दृढ़तर होता जा रहा है। जहां एक ओर यातायात के साधनों में उन्नति होने से एक जाति के सदस्य देश के विभिन्न भागों में बिखर गए, वहां दूसरी ओर उन्हीं साधनों ने उन्हें संगठित करने में सहायता भी दी।

(3) नगरीकरण (Urbanization)—नगरीकरण से प्रत्येक नगर में विभिन्न जातियों का एक अच्छा-खासा जमघट सम्भव हुआ है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक जाति को यह मौका मिला है कि वह अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपने एक विशेष संगठन का निर्माण करे।

(4) अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए (To Improve one's Caste Status)—आज के संसार ने समानता का द्वार सबके लिए खोल दिया है। पर जाति की प्रतिष्ठा इसी आधार पर स्थिर रह सकती है कि इस सुविधा से लाभ उठाकर एक जाति के अधिक-से-अधिक व्यक्ति अपनी स्थिति को ऊँचा उठाए। आज यह आवश्यक है कि एक जाति के अधिकाधिक सदस्य शिक्षित हों, धनी हों, अच्छे पदों पर नियुक्त हों या राजनीतिक सत्ता के अधिकारी हों, तब कहीं उस जाति की स्थिति सामाजिक जीवन में ऊँची उठ सकती है।

(5) औद्योगिक विकास (Industrial Development)—वर्तमान में औद्योगिक विकास के साथ-साथ असंख्य नए पेशों का जन्म हुआ और उन पेशों में काम करने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान किए गए। अर्थात् जातीय आधार पर उन पेशों का न तो विभाजन

Scanned with CamScanner

किया गया और न ही ऐसा करना सम्भव था। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक पेशों के दृष्टिकोण से सभी जाति के सदस्य एक स्तर पर आ खड़े हुए और उन पेशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उनमें पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी। फलतः प्रत्येक जाति के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह पेशों में नियुक्ति के सम्बन्ध में अपने सदस्यों को कुछ संरक्षण प्रदान करे।

(6) जजमानी प्रथा का टूटना (Abolition of Jajmani Tradition)—जजमानी प्रथा के अन्तर्गत प्रत्येक जाति दूसरी जाति के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करती थी और बदले में आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करती थी। इसमें एक दूसरी जाति के बीच आदान-प्रदान चलता रहता था। जजमानी प्रथा के समाप्त होने से विभिन्न जातियों के मध्य सम्बन्ध टूट गए हैं जिसके फलस्वरूप जातिवाद को बढ़ावा मिला है।

(7) संस्कृतीकरण (Socialization)—संस्कृतीकरण की प्रक्रिया ने भी जातिवाद को बढ़ावा दिया है। संस्कृतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निम्न जाति अपने से उच्च जाति की व्यवहारों को ग्रहण करती है। संस्कृतीकरण करने वाली जाति अपने को अन्य निम्न जातियों से ऊँचा मानने लगती है और इसमें जातिवाद की भावना बढ़ने लगती है।

(8) राजनीति (Politics)—वर्तमान समय में राजनीति भी जातिवाद के विकास के सहायक है। आज पंचायत से लेकर संसद तक चुनावों में जाति के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। जातीय आधार पर भी राजनीतिक पार्टियां अपनी उम्मीदवारों का चयन कर रही हैं। जिस क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की वोट संख्या ज्यादा है, वहां से पिछड़े वर्ग का प्रत्याशी, जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां मुसलमान प्रत्याशी आदि को ही चुना जाता है। आज भारत में विभिन्न स्थानों पर जाति के नाम पर वोट मांगे एवं दिए जाते हैं।

(9) विभिन्न जातीय संगठन (Various Caste based Organisation)—भारत में नगरीकरण एवं औद्योगीकरण के फलस्वरूप विभिन्न जातियों के लोगों का नगरों की ओर पलायन हुआ है। आज विभिन्न नगरों में विभिन्न जातियों के अपने-अपने जातीय संगठन हैं। वे अपनी जाति के सदस्यों के हितों के लिए सभाएं, सम्मेलन आदि करते हैं। राजनीति में भी इन जातीय संगठनों का सक्रिय योगदान रहता है कि किस प्रत्याशी को मत देना है कि यह भी इनके द्वारा तय किया जाता है। फलस्वरूप जातिवाद को बढ़ावा मिलता है।

जातिवाद के दुष्परिणाम
(Evil Consequences of Castism)

जातिवाद के प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं—

(1) जातिवाद प्रजातन्त्र के लिए घातक (Castism Dangerous to Democracy)—जाति और प्रजातन्त्र दोनों एक-दूसरे के विरोधी हैं। अनेक पेशेवर नेता राजनीतिक क्षेत्र में इस जातिवाद से लाभ उठाते हैं और चुनाव के समय जाति के नाम पर ही वोट मांगते हैं और सफल भी होते हैं। इससे प्रायः ऐसे व्यक्ति चुन लिए जाते हैं, जो अपनी ही जाति के हितों के सम्मुख समाज के सामान्य हितों की बलि दे देते हैं। समानता का नारा लगता है, पर व्यावहारिक रूप से जातिवाद का ही डंका बजता रहता है।

Scanned with CamScanner

(2) औद्योगिक कुशलता में बाधा (Hindrance to Technical Efficiency)—चूंकि सरकारी तथा अन्य प्रकार की नौकरियों में नियुक्ति जाति के आधार पर होती है इस कारण प्रायः ऐसे ही लोगों की भरमार होती है जो अयोग्य और निकम्मे होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि योग्य और कुशल व्यक्तियों को मौका ही नहीं मिलता है।

(3) नैतिक पतन (Moral Degeneration)—जातिवाद से प्रेरित होकर अपनी जाति के सदस्यों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक अनुचित और अनैतिक उपयों का सहारा लिया जाता है। इसमें जातिवाद के नाम पर नैतिक पतन भी होता है।

(4) राष्ट्रीयता के विकास में बाधा (Hindrance to the growth of Nationality)—जातिवाद स्वस्थ राष्ट्रीयता के विकास में बाधक है। एक तो जातिप्रथा ने स्वयं ही भारतीय समाज को अनेक भागों में बांट दिया है। उस पर जातिवाद के आधार पर इन विभिन्न भागों के बीच जब तनाव या संघर्ष कटु हो जाता है, सामुदायिक भावना का जो संकुचित रूप दिखाई देता है, वह वास्तव में भयंकर और अहितकर है। राष्ट्रीयता के विकास के लिए यह आवश्यक है कि स्वस्थ सामुदायिक भावना का विकास हो, पर जातिवाद उस स्थिति को उत्पन्न होने ही नहीं देता। यह राष्ट्रीय एकता और प्रगति के लिए कितना घातक है।

(5) गतिशीलता में बाधक (Hindrance in Mobility)—जातिवाद की भावना गतिशीलता में भी बाधक है। जातिवाद की भावना से व्यक्ति अपनी ही जाति को श्रेष्ठ समझता है। वह अपनी जाति के दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहता है। जातीय भावना के तहत व्यक्ति अपना मूल निवास स्थान छोड़ना नहीं चाहता, जिससे उसकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अपनी जाति के कार्य से अन्य कार्य में दक्ष होने पर भी वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता है। अतः जातिवाद की भावना गतिशीलता में भी बाधक है।

(6) विभिन्न समस्याओं का उदय (Origin of various Problems)—जातिवाद की भावना एवं जातीय नियमों की कठोरता से ही समाज में विभिन्न सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ है। दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि समस्याएं जातिवाद का ही परिणाम हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति इन जातीय नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे यह डर रहता है कि उसे जाति से निकाल न दिया जाए। इसलिए वह जातीय नियमों का पालन करता है।

(7) सामाजिक तनाव (Social Tension)—जातिवाद से सामाजिक तनाव में वृद्धि होती है। जब एक जाति अपने को अन्य जातियों से श्रेष्ठ समझती है और दूसरी जातियों को निम्न समझती है और उनके अधिकारों का हनन करती है तो समाज में संघर्ष एवं तनाव को बढ़ावा मिलता है।

जातिवाद के निराकरण के उपाय
(Measures for the Eradication of Castism)

जातिवाद के निराकरण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं—

(1) जाति-प्रथा को समाप्त करना—जातिवाद को समाप्त करने के लिए प्रायः यह सुझाव दिया जाता है कि जाति-प्रथा को ही समाप्त कर दिया जाए। भारतीय संविधान

Scanned with CamScanner

में जाति-पांति के भेदभाव को मिटाने के आदर्श को सामने रखा गया है। सरकारी तौर पर कुछ कानून भी पास किए गए हैं। इन सबके आधार पर यह विश्वास दिलाया जाता है कि भारत में शीघ्र ही जाति-विहीन समाज बनेगा।

(2) जाति शब्द का कम-से-कम प्रयोग—जाति शब्द का कम-से-कम प्रयोग होना चाहिए, जिससे अल्प आयु के बच्चों के मन में उसका कोई अवशेष न रह जाए। शिक्षा संस्थाओं और सरकारी कार्यालयों को इस सम्बन्ध में विशेष सचेत होना होगा और किसी भी रूप में जाति शब्द का उल्लेख करवाकर जाति के महत्त्व को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

(3) अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा—**डॉ. घुरिये** ने जातिवाद की समस्या को हल करने में अन्तर्जातीय विवाह को लोकप्रिय करने की आवश्यकता पर अधिक बल दिया है। अन्तर्जातीय विवाह से विभिन्न जाति के दो लड़के और लड़कियों को ही नहीं बल्कि बहुधा उन दोनों के दो परिवारों को भी एक-दूसरे के निकट आने का अवसर प्राप्त होता है। इस रूप में जाति-प्रथा उपेक्षित होगी और विभिन्न जातियों के बीच जो खाई है वह नष्ट हो जाएगी और जातिवाद के विरोध की क्रियात्मक आवाज उठने लगेगी।

(4) आर्थिक और सांस्कृतिक समानता—विभिन्न जातियों में आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता उनमें पारस्परिक द्वेष और प्रतियोगिता को जन्म देती है जिसका आधार आगे चलकर जातिवाद ही होता है। इसे समाप्त करने के लिए उनमें आर्थिक और सांस्कृतिक समानता लानी होगी ताकि इस समानता के आधार पर ही वे एक-दूसरे के निकट आ सकें। यह कार्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति के द्वारा ही किया जा सकता है जिससे कि औद्योगिक दृष्टि से परिपक्व समाज का निर्माण किया जा सके।

(5) उचित शिक्षा—जातिवाद को समाप्त करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता उचित शिक्षा की है। शिक्षा संस्थाओं में मनोरंजन के विभिन्न साधनों आदि के माध्यम से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक ओर बच्चों के मन में जाति-पांति का भेदभाव उत्पन्न ही न हो सके अपितु दूसरी ओर जातिवाद के विरुद्ध स्वस्थ जनमत पनप सके।

(6) नए प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन—जाति-प्रथा से सम्बन्धित भावनाएं भारत के सम्पूर्ण वातावरण में छायी हुई हैं और यहां के प्रत्येक व्यक्ति की नस-नस में समाई हुई हैं। इसलिए जातीय भावनाओं को किसी-न-किसी रूप में अभिव्यक्त करना ही उनके लिए स्वाभाविक है। इसकी अभिव्यक्ति को दबाना उचित न होगा। अधिक वैज्ञानिक तरीका यह होगा कि इस अभिव्यक्ति के क्षेत्र को बदल दिया जाए। इनके लिए यह आवश्यक है कि नए प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक समूहों का संगठन किया जाए और इन संगठनों में सभी जाति के लोगों की सदस्यता हो।

(7) जातीय संगठनों पर रोक—वर्तमान में जातिवाद की भावना को बढ़ाने का प्रमुख श्रेय जातीय संगठनों को है। विभिन्न जातियों द्वारा संगठन बनाकर अपनी-अपनी जाति के हितों की रक्षा करने का प्रचलन बढ़ रहा है। साथ ही इन संगठनों द्वारा जातिवाद की भावना भी बढ़ रही है। सरकार को इन संगठनों पर रोक लगा देनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

(8) प्रभावशाली व्यावहारिक कानून—जातिवाद की भावना को समाप्त करने के लिए सरकार को प्रभावशाली व्यावहारिक कानून बनाने चाहिए। केवल उच्च अव्यवहारिक कानूनों द्वारा जातिवाद की भावना का अन्त नहीं होगा। सरकार ने अन्तर्जातीय विवाह को कानून द्वारा मान्यता तो दे दी, परन्तु यदि ऐसे विवाहों को आर्थिक संरक्षण भी प्रदान किया जाता तो शायद भारत में अन्तर्जातीय विवाहों में वृद्धि होती है। फलस्वरूप जातिवाद की भावना में कमी आती।